संख्या:140946/xx(2)/ 23-25(हो०गा०)/ 2014

प्रेषक, राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,
कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्डस,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक: 26 जुलाई, 2023

विषय:– उत्तराखण्ड राज्य के होमगार्डस स्वयंसेवको की संशोधित भर्ती प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या– 69(II)/ हो०गा०/2017 / 1758, दिनांक– 05.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के होमगार्डस स्वयंसेवको की संशोधित भर्ती प्रक्रिया निर्धारित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुये, शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त होमगार्डस स्वयंसेवकों की भर्ती से सम्बन्धित पूर्ववर्ती राज्य उत्तर–प्रदेश के आदेश क्रमशः शासनादेश संख्या– 693 / स्था० / एक–411/ 1992, दिनांक–16.10.1992 संख्या–3379/ स्था0/ एक– 141/1973, दिनांक– 14.09.1994 संख्या–3146 / स्था0 / एक–141 / 1973 (3), दिनांक 29.06.1996 एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–119238 /XX(2)/2023-25 (हो०गा०) /2014, दिनांक 04.05.2023 के आलोक में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की संशोधित भर्ती प्रक्रिया निम्नवत लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(1) <u>शैक्षिक योग्यता</u>– होमगार्ड्स स्वयं सेवक पद के लिए अभ्यर्थियों के लिये उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(2) <u>आयु</u>– अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना, प्रथम छमाही की अवधि में चयन होने पर सम्बन्धित वर्ष की 01 जनवरी से तथा द्वितीय छमाही की अवधि में भर्ती होने पर 01 जुलाई से की जायेगी।

होमगाईस की भर्ती सम्बन्धित जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र से की जायेगी अधिवास प्रमाण–पत्र हेतु नियमानुसार सम्बन्धित जनपद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग को शासनादेश संख्या–1399 दिनांक–21.05.2005 द्वारा अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित अभ्यार्थियों के लिये शासनादेश संख्या–1244 दिनांक 21.05.2005 द्वारा अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

अधिसूचना संख्या–6/1/72 कार्मिक–2 दिनांक– 25.04.1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिको को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी।

(3) **आरक्षण रोस्टर**– जनपद स्तर पर सभी कम्पनी / प्लाटून का एकीकृत रोस्टर रखा जायेगा। आरक्षण रोस्टर के अनुसार विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

(4) **अभ्यर्थियों की शारीरिक माप–तोल**– अभ्यर्थियों की माप तोल चयन समिति द्वारा की जायेगी। शारीरिक माप–तोल में चयन समिति की सहायता हेतु जिले के जिला कमाण्डेन्ट सम्बन्धित मण्डलीय कमाण्डेन्ट से वैतनिक निरीक्षक / वैतनिक प्लाटून कमाण्डर, ब्लॉक ऑर्गनाइजर व हवलदार प्रशिक्षक नामित करने हेतु अनुरोध करेंगें।

पुरुष अभ्यर्थी

मानक	"सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम
ऊंचाई	165 से0मी0	157.50 से0मी0	160 से0मी0
सीना बिना फुलाएं	78.8 से0मी0	76.3 से0मी0	76.3 से0मी0
सीना फुलाने पर	83.8 से0मी0	81.3 से0मी0	81.3 से0मी0

नोट:– सीने में कम से कम 5 सेमी0 का फुलाव होना आवश्यक है।

महिला अभ्यर्थी

मानक	सामान्य/अन्य पिछड़ा तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम
ऊंचाई	152 से0मी0	147 से0मी0	147 से0मी0

वजन:– महिला अभ्यर्थी का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है।

नोट:– शारीरिक मानकों में छूट के लिये अनुमन्यता से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र यथा (अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण–पत्र) धारित होना चाहिये।

(5) **<u>पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण</u>**:– शासनादेश संख्या 256/18- प्रा0 शि0-2-88-20 (एस0बी0)/82 दिनांक: 16.01.1982 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। देहरादून: सम्पूर्ण चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपरी गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र नैनीताल तथा गढ़वाल, कोटद्वार सहित सब माउन्टेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र पिथौरागढ़, अल्मोडा, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी के संपूर्ण भाग ।

नवसृजित जनपद बागेश्वर रूद्रप्रयाग एवं चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमश: जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा।

(6) **<u>सीधी भर्ती की प्रक्रिया</u>**:– होमगार्डस स्वयंसेवको की भर्ती के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगें तथा उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप न्यूनतम 2 दैनिक समाचार–पत्रों, जिनका व्यापक परिचालन हो में प्रकाशित किया जायेगा।

(7) **<u>चयन समिति</u>**:– होमगार्डस स्वयं सेवकों की भर्ती हेतु निम्नलिखित चयन समिति निर्धारित की जाती है:–

अ – भर्ती से सम्बन्धित जिले का जिला कमाण्डेन्ट	अध्यक्ष
ब – जिलाधिकारी द्वारा नामित एक उपजिलाधिकारी	सदस्य
स – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित एक पुलिस उपाधीक्षक	सदस्य

चयन समिति द्वारा की जाने वाली भर्ती हेतु सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय कमाण्डेन्ट होमगार्डस पर्यवेक्षक अधिकारी होंगे।

चयन समिति में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।

चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी।

(8) **<u>शारीरिक दक्षता परीक्षा</u>**:– शारीरिक परीक्षा के अंक अन्तिम मैरिट सूची में जोड़े जायेंगे तथा शारीरिक परीक्षा हेतु निम्नलिखित आईटम क्रमवार कराये जायेंगें:–

पुरुष अभ्यर्थी :–

क्र०सं०	ईवेन्ट का नाम	दूरी / समय	अंक
01.	दौड़ व चाल 02 किमी (पूर्णांक–10)	9.1-10 मिनट 8.1-09 मिनट 7.1-08 मिनट 6.1-07 मिनट 06 मिनट तक	05 07 08 09 10
02.	क्रिकेट बॉल थ्रो (पूर्णांक–10)	50 मीटर 55 मीटर 60 मीटर 65 मीटर 70 मीटर	05 07 08 09 10

03.	लम्बी कूद (पूर्णांक–10)	12 फिट 13 फिट 14 फिट 15 फिट 16 फिट	05 07 08 09 10

महिला अभ्यर्थी :–

क्र०सं०	ईवेन्ट का नाम	दूरी / समय	अंक
01.	दौड़ व चाल 500 मीटर (पूर्णांक–10)	3.6-04 मिनट 3.1-3.5 मिनट 2.6-03 मिनट 2.5 मिनट तक	05 06 08 10
02.	क्रिकेट बॉल थ्रो (पूर्णांक–10)	15 मीटर 20 मीटर 25 मीटर 30 मीटर 35 मीटर	05 06 07 08 10
03.	लम्बी कूद (पूर्णांक–10)	08 फिट 09 फिट 10 फिट 11 फिट 12 फिट	05 06 07 08 10

उपरोक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदण्ड तालिका में उल्लिखित आईटम क्रमवार कराये जायेंगें तथा किसी भी आईटम में न्यूनतम अर्हता (Un- Qualifying) प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी को वहीं से अनर्ह घोषित करते हुये चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा।

(9) एन०सी०सी०/ एन०एस०एस० / स्काउट गाईड के प्रमाण पत्र धारक / उत्तराखण्ड होमगाईस विभाग के वैतनिक / अवैतनिक सदस्यों के पुत्र, पुत्री, पत्नी या पति (जैसी स्थिति हो) के लिये निर्धारित अंक :–

एन०सी०सी० – बी / एन०एस०एस० / स्काउट गाईड - 03 अंक ।

एन०सी०सी०–सी प्रमाण–पत्र - 05 अंक ।

होमगार्ड्स के अवैतनिक व वैतनिक सेवा निवृत्त / कार्यरत
सदस्यों के पुत्र अविवाहित पुत्री पत्नी, पति के लिए - 05 अंक ।

उत्तराखण्ड होमगार्ड्स के उन्हीं वैतनिक / अवैतनिक सदस्यों के पुत्र, पुत्री, पत्नी या पति को उक्तानुसार निर्धारित अंक इस दशा में ही प्रदान किये जायेंगे, जबकि सम्बन्धित के द्वारा बिना किसी व्यवधान के 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा उत्तराखण्ड होमगार्डस विभाग में पूर्ण की गयी हो।

(10) **शैक्षिक योग्यता :–** अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल रखी जाय एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर निम्नानुसार अंक दिये जायें :–

हाईस्कूल	08 अंक
इण्टरमीडिएट	08+01 अंक
स्नातक	08+02 अंक

(11) **खेलकूद**: –खेलकूद में प्रवीण अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 05 अंक निर्धारित हैं, जो निम्नानुसार दिये जायेंगे:–

जिला / महाविद्यालय स्तर का खिलाड़ी - 02 अंक
मण्डल / विश्वविद्यालय स्तर का खिलाड़ी - 03 अंक
राज्य स्तर का खिलाड़ी - 05 अंक

जिला / महाविद्यालय स्तर के खिलाड़ी को सम्बन्धित कॉलेज के प्रधानाचार्य, जिला स्तर के खिलाड़ी हेतु जिला क्रीड़ा अधिकारी अथवा मण्डल स्तर के खिलाड़ी हेतु क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डीविजनल स्पोर्टस एसोसिएशन, विश्व विद्यालय स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी, राज्य स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित स्पोर्टस के राज्य स्पोर्टस एसोसिएशन अथवा उत्तराखण्ड खेलकूद निदेशालय से निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होंगे।

(12) **वाहन चालक**:– वाहनों के वैद्य ड्राइविंग लाईसेंस धारक को 05 अंक निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगे, किन्तु यह आवश्यक होगा कि ड्राइविंग लाईसेंस भर्ती की विज्ञापन तिथि से 01 वर्ष पूर्व का हो:–

क– भारी वाहन चालक – 05 अंक
ख– हल्का वाहन चालक – 03 अंक

(13) **परीक्षाफल**:– शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों तथा सम्बन्धित श्रेणी के लिए नियत अधिमान अंको के योग के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों के दृष्टिगत रिक्ति के सापेक्ष अन्तिम मैरिट सूची बनाई जायेगी। रिक्तियों के सापेक्ष परीक्षा में सफल घोषित अभ्यार्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची (शारीरिक दक्षता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता एवं अधिमान अंको को जोड़कर) के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों, वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, का चयन किया जायेगा। यदि 02 अभ्यर्थियों की जन्मतिथि भी एक समान होती है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा। प्रतीक्षा सूची नही बनायी जायेगी।

योग्यता	अधिकतम देय अंक
शारीरिक दक्षता	30
शैक्षिक योग्यता	10
एन०सी०सी०/ एन०एस०एस० / स्काउट गाइड	05
होमगार्ड्स के अवैतानिक व वैतनिक सेवा निवृत्त / कार्यरत सदस्यों के पुत्र, अविवाहित पुत्री, पत्नी, पति के लिए|	05
खेलकूद	05
वाहन चालक	05
कुल योग	60

(14) **आरक्षण**:– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये

आरक्षण भर्ती के समय प्रदत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण ऐसे अभ्यर्थियों को अनुमन्य है जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है। क्षैतिज आरक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों / शासनादेशों के अनुसार देय होगा। आरक्षण का लाभ सम्बन्धित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिये सबसे लाभदायक होगी. का लाभ पाने का पात्र होगा।

(15) **स्वास्थ्य परीक्षण**:– चयनित अभ्यर्थियों से स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी फार्म उसी दिन अथवा अनिवार्यतः अगले दिन तक भरा लिया जाये और उनका स्वास्थ्य परीक्षण यथाशीघ्र मुख्य चिकित्साधिकारी से कराया जाये। अभ्यर्थी मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए दृष्टि एक आँख में 6/6 और दूसरी आँख में 6/9 के कम नहीं होनी चाहिए. अर्थात बिना चश्मे के दाहिनी हाथ से काम करने वाले अभ्यार्थियों के लिए दाहिनी आँख के लिए 6/6 तथा बॉयें हाथ से काम करने वाले अभ्यार्थियों की बॉयी आँख के लिए 6/6 होनी चाहिए। वर्ण–अर्धता से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। सटा घुटना सपाट पैर, बोलेग, वैरी कोस वेन, दिव्यांगता और अन्य विकृतियाँ जो ड्यूटी में बाधा पैदा करे को अयोग्यता माना जायेगा। अनुपयुक्त पाये गये अभ्यार्थियों का चयन निरस्त किया जायेगा। किसी भी संशय की स्थिति में प्रकरण को मेडिकल बोर्ड के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा

(16) **चरित्र सत्यापन**:– अन्तिम रूप से चयनित किये गये एवं चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का पुलिस प्रमाणीकरण जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स द्वारा कराया जायेगा।

(17) **अन्य**:– अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति फार्म के साथ संलग्न करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन होमगार्ड्स विभाग द्वारा करवाया जायेगा तथा सत्यापन में सही पाये जाने की दशा में ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा ।

चयन समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य निर्णय लिया जाता है तो उसकी लिखित अनुमति कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स से ली जानी आवश्यक होगी। अन्य वांछित आवश्यक कार्यकारी निर्देश कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्डस द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्तानुसार निर्धारित होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की संशोधित चयन प्रकिया को तत्काल प्रभाव से लागू किया जायेगा तथा राज्य में मृतक होमगार्ड्स / अवैतनिक अधिकारियों

के स्थान पर उनके आश्रितों को होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के रूप में सेवायोजित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1177, दिनांक– 26.12.2016 में भी चयन प्रकिया को उपरोक्तानुसार संशोधित समझा जाय ।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या:– **/XX (2) /23-25 (हो०गा०) / 2014**।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव. मा0 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. निजी सचिव, सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तरखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन ।
4. मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, कुमांऊ / गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्डस, उत्तराखण्ड ।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अतर सिंह)
अपर सचिव।